Scholarship to SCs/STs students in Bihar

716. SHRI KAMESHWAR PASWAN : Will the Minister of WELFARE be pleased to state what are the details of the amount of scholarship which was given by the Central Government during the last three years to the students belonging to scheduled castes and scheduled tribes community who are studying in various colleges of Bihar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : Welfare Ministry released Central Assistance of Rs. 102.562 lakh, Rs. 799.184 lakh and Rs. 590.144 lakh during 1991-92, 1992-93 and 1993-94, respectively to Government of Bihar, under the Centrally Sponsored Scheme of Post Matric Scholarships for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये बिहार को उपलब्ध कराई गई धनराशि

717. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि का उस प्रयोजन के लिए पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्कबालू) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**

(ग) जहां कहीं केन्द्रीय सहायता के उपयोग न किए जाने या उसके केवल कुछ भाग के उपयोग किए जाने के मामले इस मंत्रालय के नोटिस में आते हैं तो आगामी वित्तीय वर्ष में निर्मुक्त की जाने वाली केन्द्रीय सहायता की गणना राज्य सरकार के पास खर्च न की गई बकाया राशि का समायोजन करने के बाद की जाती है ।

हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक बिहार राज्य सरकार अपने पास पड़ी खर्च न की गई राशि का उपयोग नहीं कर लेती तब तक आगे कोई राशि निर्मुक्त नहीं की जाएगी ।

कल्याण मंत्री ने बिहार के मुख्य मंत्री को यह अनुरोध करते हुए लिखा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के लिए संदर्भाधीन विवरणों के लिए केन्द्रीय सहायता की खर्च न की गई बकाया राशि का उपयोग तेजी से करें ।